न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.

अनवान :– प्रार्थना पत्र संख्या 22/2025

संदीप पुत्र स्व. राजाराम आयु 44 वर्ष जाति जाट निवासी चक 18 एलएनपी मनफूलसिंहवाला तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, श्री गंगानगर।

– – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

– :: उपस्थित अभिभाषक :: –

अधिवक्ता श्री रणजीत सारडीवाल	प्रार्थी
पैरोकार राज	अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

– :: आदेश ::–

दिनांक :–08.07.2025

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थी के पिता नाम से खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 18 एल. एन. प. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता सं. 52/49 मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 11, 1/2, 2/1, 2/2, 9, 10/1, 10/2 रकबा 1.0120 है. नहरी मय खाला में हिस्सा 337/1012 दर्ज राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2073–76 है जिसमें प्रार्थी के पिता का नाम रजीराम पुत्र हरीराम अंकन है प्रार्थी के पिता का देहान्त दिनांक 27.01.2024 को हो चुका है नकल जमाबन्दी एवं मृत्यु प्रमाणपत्र संलग्न प्रार्थनापत्र है। प्रार्थी के पिता के नाम से चक 6 एस. डी. पी. तहसील सादुलशहर के खाता संख्या 102/102 के पं.नं. 30/167 मुरबा नं. 23 की 3.162 है. नहरी मय खाल भूमि का हिस्सा 177/1054 में प्रार्थी के पिता का नाम रजीराम उर्फ राजाराम पुत्र हरीराम था लेकिन उक्त रकबा का जरिये विरासत इन्तकाल सं. 650 दिनांक 10.01.2025 को प्रार्थी तथा प्रार्थी की माता गुलाबदेवी के नाम से अमल दरामद हो चुका है नकल जमाबन्दी एवं ईन्तकाल संख्या 650 संलग्न प्रार्थना पत्र वास्ते अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। चक 18 एल. एन. पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता सं. 20/18 मुरब्बा नम्बर 20, 21, 25 का रकबा 8.7790 है. नहरी मय खाला में हिस्सा 2925/877 में प्रार्थी के पिता का नाम राजाराम पुत्र हरीराम दर्ज था लेकिन प्रार्थी के पिता का देहान्त हो जाने के पश्चात् उक्त रकबा जरिये विरासत ईन्तकाल सं. 442 दिनांक 22.10.2024 को प्रार्थी तथा प्रार्थी की माता गुलाबदेवी के नाम से अमल दरामद हो चुका है जिसकी नकल जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी के पिता के देहान्त हो जाने के पश्चात प्रार्थी ने विरास्तन इन्तकाल दर्ज करवाने के लिए आवेदन किया तो प्रार्थनापत्र के पैरा सं. 203 में अंकित रकबा का तो विरास्तन इन्तकाल दर्ज

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

हो गया है लेकिन पैरा संख्या–1 में अंकित रकबा में प्रार्थी के पिता का नाम रजीराम पुत्र हरीराम अंकन होने के कारण विरासतन इन्तकाल नहीं हुआ है जबकि रजीराम एवं राजाराम एक ही व्यक्ति है किसी अन्य व्यक्ति का नाम नहीं है इसलिए राजस्व रिकार्ड में रजीराम पुत्र हरीराम को दुरूस्त किया जाकर राजाराम पुत्र हरीराम किया जाना आवश्यक है जब तक राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम दुरूस्त नहीं हो जाता तब तक विरासतन इन्तकाल दर्ज नहीं हो रहा ऐसी सूरत में राजस्व रिकार्ड में रजीराम के स्थान पर राजाराम दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी की माता के नाम से जारी जनआधारकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम राजाराम दर्ज है तथा इसी प्रकार से प्रार्थी के पिता के नाम से जारी वोट पहचान पत्र तथा आधारकार्ड एवं अन्य दस्तावेज में उनका नाम राजाराम पुत्र हरीराम ही अंकन है, मृत्यु प्रमाण पत्र में भी राजाराम नाम दर्ज है यानि रजीराम एवं राजाराम दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है तथा किसी अन्य सदस्य के नाम नहीं है नकल आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजी साक्ष्य वास्ते अवलोकनार्थ संलग्न प्रार्थना पत्र है। अप्रार्थी सं0–1 लैण्ड होल्डर है इसलिये पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थना पत्र अदालतवाला के क्षेत्राधिकारी व श्रवणाधिकार का है तथा उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम–1956 के अन्तर्गत मय हलफनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र के पैरा सं.1 में दर्ज कृषि भूमि वाके चक 18 एल. एन. पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता सं.–52/29 मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 9, 10/1, 10/2 का रकबा 1.0120 है. नहरी मय खाला हिस्सा 337/1012 में प्रार्थी के पिता का नाम रजीराम पुत्र हरेराम को दुरूस्त कर राजाराम पुत्र हरीराम करने का आदेश प्रदान करे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर से रिपोर्ट प्राप्त की मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट उपरोक्त प्रासांगिक विषयान्तर्गत प्रकरण में संबंधित पटवारी हल्का गणेशगढ़ से रिपोर्ट ली गई जो निम्नानुसार है– चक 18 एलएनपी के खाता स. 52 मु.न.21 रकबा 1.012 है. हिस्सा रजीराम पुत्र हरीराम हिस्सा 337/1012 जाति जाट के नाम सहखातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में मौतविरानो से पूछताछ करने पर प्रार्थी के पिता को रजीराम व राजाराम दोनों ही नामों से पुकारा जाता था तथा दोनों नाम एक ही व्यक्ति के होना बताया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों, आधार, पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि में प्रार्थी के पिता का नाम राजाराम पुत्र हरिराम अंकित है दस्तावेजों की प्रतिया सलंगन है। ग्राम पंचायत मनफूलसिंहवाला द्वारा जारी फोटोयुक्त प्रमाण में प्रार्थी के दो नाम रजीराम व राजाराम बताये गये जो एक ही व्यक्ति के नाम होना प्रमाणित किया गया है, प्रमाण पत्र सलंगन है। चक 6 SDP तह. सादुलशहर मु.न. 23 रकबा 3.162 है. भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम रजीराम उर्फ राजाराम अंकित है। प्रार्थी के पिता राजाराम की दिनाकः 27.01.2024 को मृत्यु हो चुकी है जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति सलंग्न है। श्रीमान् जी प्रकरण के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की रिपोर्ट वास्ते अग्रिम कार्यवाही सादर प्रेषित की जा रही है।

वकील प्रार्थी द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दस्तावेजी साक्ष्य जमावंदी सम्वत् 2073–2076 चक 18 एलएनपी, पटवार हल्का 17 एलएनपी खाता संख्या 52/49, जमावंदी सम्वत् 2074–2077 चक 6 एस.डी.पी., पटवार हल्का लालगढ वी भू.अ.नि. लालगढ़, खाता संख्या 102/102, जमावंदी सम्वत् 2069–2072 चक 18 एलएनपी, पटवार हल्का 17 एलएनपी खाता संख्या 49/51, राजा राम उर्फ रजीराम

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

का अन्य पिछड़ी जाति प्रमाण पत्र की फोटो प्रति, राजा राम पुत्र हरी राम के मूलनिवास प्रमाण पत्र की प्रति, राजा राम पुत्र हरीराम के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति, राजा राम पुत्र हरीराम के निर्वाचन पहचान पत्र की प्रति, राजा राम पुत्र हरीराम के आधार कार्ड की प्रति, कार्यालय ग्राम पंचायत चक मनफूलसिंह वाला द्वारा जारी प्रमाण पत्र (जिसमें राजाराम व रजीराम पुत्र हरीराम दोनो एक ही व्यक्ति के होने बाबत ताइद की गई है), तिरेन्द्र कुमार पुत्र श्री इन्द्रज आयु 51 वर्ष जाति जाट निवासी चक 18 एलएनपी का शपथ पत्र तादादी 50/– रूपये का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों एवं तहसीलदार श्रीगंगानगर की अनुशंषा के आधार पर स्वीकार किया जाकर जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 चक 18 एलएनपी, पटवार हल्का 17 एलएनपी खाता संख्या 52/49 में रजीराम पुत्र हरीराम के स्थान पर रजीराम उर्फ राजाराम पुत्र हरी राम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करे।

निर्णय की प्रति तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 03.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with CamScanner